



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-2715522 E-mail: modelschoolrcse@gmail.com



क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/मॉडल स्कूल/प्रवेश प्रक्रिया-170-11/3554

दिनांक : 26/07/2022

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समसा, संबंधित जिले।

अति. जिला परियोजना समन्वयक,
समसा, संबंधित जिले।

विषय:-सत्र 2022-23 के लिए स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों की कक्षा-11 में प्रवेश के संबंध में।

संदर्भ:-राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग का पत्र क्रमांक प. 4 (5) शक्षा-1/2015 दिनांक 30.03.2017, शासन उप सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर का पत्रांक-प(15)शिक्षा-1/मॉ.स्कूल 2017 पार्ट जयपुर दिनांक 19.08.2021 एवं पत्रांक 4(15)शिक्षा-1/मॉ.स्कूल 2017 पार्ट जयपुर दिनांक 17.06.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि सत्र 2022-23 में राज्य में संचालित 134 मॉडल विद्यालयों में कक्षा-11 में विज्ञान संकाय के लिए प्रतिशत की बाध्यता नहीं है। परन्तु अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड के लिए रिक्त सीटों पर शत प्रतिशत प्रवेश हेतु कक्षा-10 में समेकित प्राप्तांक तथा संबंधित विषय के प्राप्तांक में निम्नानुसार छूट देते हुए प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाये :-

क्र. सं.	सीबीएसई से संबंधित स्कूल/मॉडल स्कूल/अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंधित स्कूल	दिनांक 30.03.2017 को जारी प्रवेश नीति के अनुसार गणित संकाय/जीव विज्ञान संकाय के लिए समेकित प्राप्तांक	दिनांक 30.03.2017 को जारी प्रवेश नीति के अनुसार गणित/जीव विज्ञान संकाय के लिए संबंधित विषय के प्राप्तांक
1	मॉडल स्कूल हेतु	प्रतिशत की बाध्यता नहीं।	
2	मा. शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर	66.50 प्रतिशत	65%
3	अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड	72.2 प्रतिशत	71 से 80% (B1 ग्रेड)

• सत्र 2022-23 में राज्य में संचालित 134 मॉडल स्कूलों में कक्षा-11 में रिक्त सीटों पर प्रवेश जिला स्तर पर गठित प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-


1. मॉडल विद्यालयों में कक्षा-11 में रिक्त सीटों पर पात्र आवेदकों से प्रवेश हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 03 अगस्त, 2022
2. चयनित आवेदकों की सूची जारी करना : 08 अगस्त, 2022
3. चयनित आवेदकों से समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर प्रवेश दिया जाना : 12 अगस्त, 2022

29

मॉडल विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रवेश नीति में संशोधन के अनुसार 'संबंधित ब्लॉक के विद्यार्थियों के स्थान पर सर्वप्रथम संबंधित ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश (संलग्न) दिया जावे। रिक्त सीट होने की स्थिति में शहरी परिक्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

अतः तदनुसार पालना सुनिश्चित करावे।

संलग्न :- उपरोक्तनुसार



(डॉ. मोहन लाल यादव)

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्यमंत्री महोदया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
4. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, रास्कूशिप. एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, रास्कूशिप., जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर, पाली, जयपुर, जोधपुर, चूरू, भरतपुर, कोटा, उदयपुर एवं अजमेर।
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संबंधित ब्लॉक्स को देकर लेख है कि उक्तानुसार कक्षा-11 में शत प्रतिशत नामांकन लक्ष्य प्राप्त किया जावे।
9. संस्था प्रधान, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, संबंधित ब्लॉक, उक्तानुसार प्रवेश संबंधी कार्यवाही कर कक्षा-11 में शत प्रतिशत नामांकन लक्ष्य प्राप्त करें।
10. कार्यक्रम अधिकारी, समसा, संबंधित जिले।
11. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: 4(15)शिक्षा-1/मॉ.स्कूल 2017 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 19 8 2021

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,
जयपुर।

विषय:- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्रवेश हेतु पूर्व में जारी प्रवेश नीति में संशोधन बाबत।

प्रसंग:- पत्रांक:रा.स्कूल शि.प./जय/मॉडल स्कूल/संस्थापन/ई.सी.जी.सी./75039-II/19889 दिनांक 02.3.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में कक्षा- 11 के लिए प्रवेश हेतु विभाग के पत्रांक: प. 4(15)शिक्षा-1/2015 जयपुर दिनांक 30.03.2017 के अनुसार जारी प्रवेश नीति के विन्दु संख्या 3.0 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	सीबीएसई से संबद्ध स्कूल/ मॉडल स्कूल/ अन्य मान्यता बोर्ड से संबद्ध स्कूल	प्रवेश नीति में कक्षा-11 में विज्ञान संकाय में प्रवेश दिये जाने हेतु कक्षा-10 में न्यूनतम प्राप्तांक			
		गणित संकाय के लिए		जीव विज्ञान संकाय के लिए	
		समेकित	गणित	समेकित	विज्ञान
1.	मॉडल स्कूल हेतु	प्रतिशत की बाध्यता नहीं			
2	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से उत्तीर्ण	कक्षा-11 में सीट्स खाली रहने की स्थिति में समय-समय पर पत्रावली प्रस्तुत कर प्रवेश हेतु निर्धारित प्रतिशत में आवश्यकतानुसार छूट लिया जाना।			
3	अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण				

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(भारतेन्द्र जैन)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)

(डॉ. रणवीर सिंह)

विशेषाधिकारी-शिक्षा

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: 4(15)शिक्षा-1/मॉ.स्कूल 2017 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 17.6.2021

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,
जयपुर।

विषय:- स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्रवेश हेतु पूर्व में जारी प्रवेश नीति में संशोधन बाबत।

प्रसंग:- पत्रांक:रा.स्कूल शि.प./जय/मॉडल स्कूल/संस्थापन/ई.सी.जी.सी./75039-II/19872 दिनांक 02.3.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में कक्षा-6, 9, व 11 में प्रवेश में जारी प्रवेश नीति में संबंधित ब्लॉक के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, के स्थान पर प्रवेश नीति में "संबंधित ब्लॉक के विद्यार्थियों के स्थान पर सर्वप्रथम संबंधित ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश देने एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पश्चात कक्षाओं में सीट रिक्त रहने पर ही शहरी परिक्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावे" संशोधित किया जाता है।

भवदीय,

मा.वि. 17.06.2021
(भारतेन्द्र जैन)

शासन उप सचिव, प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. रक्षित पत्रावली।

17.6.21

(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी-शिक्षा

- 2.4. मॉडल स्कूल में कक्षा 11 में असफल/अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों को अगले सत्र में प्रवेश हेतु सीटों की गणना अधिकतम निर्धारित 80 सीटों के अन्तर्गत ही की जायेगी।
- 2.5. लगातार दो सत्र तक असफल/अनुत्तीर्ण रहे विद्यार्थी मॉडल स्कूल में नियमित अध्ययन के पात्र नहीं होंगे।

2.6. प्रवेश में आरक्षण में प्रावधान निम्नानुसार होंगे -

- i. राज्य के टी.एस.पी. क्षेत्रों एवं बारा जिले के अतिरिक्त अन्य ब्लॉक्स में प्रवेश योग्य सीटों में से अनुसूचित जाति हेतु- 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु-12 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग हेतु-21 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु-1 प्रतिशत, आरक्षित होगी एवं शेष 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित वर्ग से भरी जायेगी।
- ii. टी.एस.पी. एरिया के सम्बन्धित ब्लॉक्स में आरक्षण राज्य सरकार के मापदण्डानुसार अनुसूचित जनजाति हेतु 45 प्रतिशत, अनुसूचित जाति हेतु 5 प्रतिशत होगा एवं शेष 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित वर्ग से भरी जायेगी।
- iii. बारा जिले के समस्त ब्लॉक्स में सीटों हेतु अनुसूचित जाति हेतु 8 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 6 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग हेतु 10 प्रतिशत, विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु 1 प्रतिशत, सहरिया वर्ग हेतु 25 प्रतिशत आरक्षित होगी, एवं शेष 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित वर्गों से भरी जायेगी।
- iv. प्रत्येक वर्ग में न्यूनतम 55 प्रतिशत सीटें छात्राओं हेतु एवं 3 प्रतिशत सीटें नि:शक्तजन एवं ट्रांसजेण्डर के लिए आरक्षित होगी।
- v. प्रवेश हेतु यदि किसी वर्ग में 55 प्रतिशत छात्राएँ उपलब्ध नहीं होंगी है तो शेष सीटें उसी वर्ग के छात्रों से भरी जायेगी। इसी प्रकार 3 प्रतिशत नि:शक्तजन एवं ट्रांसजेण्डर उपलब्ध नहीं होने पर शेष सीटें उसी वर्ग के छात्र-छात्राओं से भरी जायेगी।
- vi. किसी वर्ग हेतु निर्धारित सीटों के लिए उस वर्ग के विद्यार्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष सीटें अनारक्षित वर्ग से भरी जायेगी।

टिप्पणी :-

1. उपर्युक्त आरक्षण प्रावधान समस्त 80 सीटों पर नियमानुसार लागू होंगे कि केवल रिक्त सीटों पर।
2. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।

2.7. मेरिट लिस्ट तैयार करते समय निम्नांकित रियायतें लागू की जायेगी -

विभिन्न स्तरों पर खेलकूद/स्काउटिंग-गाइडिंग/एनसीसी एवं अन्य गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को निम्नानुसार रियायतें दिये जायेंगे। इसके लिए प्रमाण पत्र पूर्व के किसी भी वर्ष का हो सकता है -

क्र. सं.	खेलकूद	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल का विज्ञान मेला/सा. विज्ञान मेला/Art craft व वाद विवाद/अन्य	एनसीसी ए प्रमाण पत्र	स्काउटिंग गाइडिंग	अन्य राष्ट्रीय स्तर की राजकीय प्रतियोगिताएं	अंकों/छूट पाइंट्स में छूट
1	राष्ट्रीय स्तर विजिला / सतभागिता	राष्ट्रीय स्तर विजिला / सतभागिता	गणतंत्र दिवस पुरस् / प्रधानमंत्री रत्न न प्रतिभागी	राष्ट्रपति पुरस्कार	विजिला / सतभागिता	10 अंकों में 2.5 अंकों की छूट
2	राज्य स्तर विजिला / उप जिला विजिला	राज्य स्तर विजिला / उप विजिला	राज्य / जिला स्तर पर श्रेष्ठ केंद्र	7 सक्षमा बाल के साथ राज्य स्तर पर उत्कृष्ट	राज्य स्तर विजिला / उप विजिला	10 अंकों में 2 अंकों की छूट
3	जिला स्तर विजिला	जिला स्तर विजिला	ए प्रमाण पत्र धारिता	8 सक्षमा बाल के साथ तृतीय श्रेष्ठ प्रमाण पत्र	जिला स्तर विजिला	10 अंकों में 1 अंकों की छूट

2.8. अगर दो या दो से अधिक अभ्यर्थी ने एक ही समान सीजीपीए प्राप्त किया है तो ऐसे अभ्यर्थियों की आपस में योग्यता को निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :-

- i. गणित/ जीव विज्ञान में प्रदेश के लिए जिस अभ्यर्थी ने सबसे गणित/जीव विज्ञान में अधिक ग्रेड प्वाइंट प्राप्त किया है उस प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी।
- ii. अगर दो या दो से अधिक अभ्यर्थी के गणित/जीव विज्ञान के ग्रेड पाइंट में टाई होता है तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा।

2.9. उपर्युक्त सारणी में वर्णित सभी वर्गों के अन्तर्गत अधिकतम छूट 7.8 सीजीपीए (7.8 प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी तथा विभिन्न गतिविधियों में प्राप्त की अधिक छूट की अर्हता रखने की स्थिति में अभ्यर्थी को अधिकतम एक बार एक ही छूट का लाभ देस होगा।

टिप्पणी - उपर्युक्त रियायतें प्रवेश के समय मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को भी समान रूप से देय ह।

3.0 11वीं कक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 10 में न्यूनतम प्राप्तांक :-

क्र.सं.	सीबीएसई से संबद्ध स्कूल/मॉडल स्कूल/अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध स्कूल	गणित सकाय के लिए		जीव विज्ञान सकाय के लिए	
		समेकित	गणित	समेकित	विज्ञान
1	मॉडल स्कूल हनु	70 सीजीपीए	B, ग्रेड (61-70%)	70 सीजीपीए	B, ग्रेड (61-70%)
2	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर	66.5 प्रतिशत	65 प्रतिशत	66.5 प्रतिशत	65 प्रतिशत
3	अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड	76 सीजीपीए/ 72 प्रतिशत	B, ग्रेड (71-80%)	76 सीजीपीए/ 72 प्रतिशत	B, ग्रेड (71-80%)

नोट : सीजीपीए को प्रतिशत में परिवर्तन = $CGPA \times 9.5$

=%

- 3.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों का 11वीं विज्ञान में प्रवेश के लिए 0.4 तक सीजीपीए में ग्रेड/अपग्रेड अथवा 3.8 प्रतिशत समावेश किया जायेगा।
- 3.2 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में अध्ययनरत 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी जिन्होंने न्यूनतम अर्हता प्राप्त की है वे समस्त विद्यार्थी कक्षा 11 में प्रवेश के पात्र होंगे। उसके पश्चात शेष सीटों पर प्रवेश हेतु योग्यता सूची तैयार कर प्रवेश विधि जा सकेंगे।
- 4.0 जिला स्तरीय समिति द्वारा ही ब्लॉकवार रिक्तियों की सूचना प्रकाशित की जावेगी एवं समाचार पत्रों, अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावेगा।
- 5.0 प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रवेश-प्रक्रिया की अंतिम तिथि तक कार्यालय में जमा नहीं करवाने पर अस्थायी प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। समस्त दस्तावेज/प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार ही मान्य हों। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय आंतिम एवं मान्य होगा।

प्रवेश हेतु समयबद्ध कलेंडर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्तर से निर्धारित कर जारी किया जावेगा। अतः तदनुसार स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु वर्ष 2017-18 से प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।

अतः स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों कक्षा 11 के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तावित प्रवेश नीति का अनुमोदन किया जाता है।

संवेदी

(आर.एस. झालानी)

शासन उप सचिव, पञ्ज

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. रक्षित पत्रावली।

(बी.के. गुप्ता)

विशेषाधीनारी शिक्षक